

आरोपी अनुपस्थित ।

आरोपी को जारी गिरफ्तारी वारंट अदम्य तामिल इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त कि आरोपी की मृत्यु दिनांक-16/12/2013 को हो चुकी है, जिस बाबत मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यप्रति पेश की गई है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया ।

प्रकरण में आरोपी मुन्ना उर्फ कुंजीलाल के विरुद्ध अपराध धारा-457, 380 भा.द.वि. के तहत पंजीबद्ध कर अभियोग प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आरोपी के विरुद्ध विचारण प्रारंभ था, किन्तु आरोपी की मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक-16/12/2013 अनुसार मृत्यु हो जाने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाना उचित प्रकट होता है।

अतः मृत आरोपी मुन्ना पिता बैसाखू उम्र 50 वर्ष साकिन रूपझर को भा.द.वि. की धारा 457, 380/34 भा.द.वि. में उन्मोचित किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति न्यायालय में पेश नहीं। अतः जप्तशुदा सम्पत्ति आरक्षी केन्द्र रूपझर में जमा रहना अभियोग पत्र एवं चालान प्रस्तुति ओदशित पत्रिका से दर्शित होता है। अतः जप्तशुदा सम्पत्ति के निराकरण हेतु पृथक से विविध पंजी खोली जाकर संबंधित आरक्षी केन्द्र को ज्ञापन जारी किया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज हो।

प्रकरण अविलम्ब विधिवत् अभिलेखागार दाखिल किया जावे।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर